अध्याय 5

सेवा कर

125. वित्त अधिनियम, 1994 में,— 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

(अ) धारा 65 में, ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे,—

(1) खंड (12) में,—

(क) उपखंड (क) में,—

(i) "या कोई अन्य व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "या वाणिज्यिक समुत्थान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) मद (i) के अंत में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण— इस मद के प्रयोजनों के लिए, "वित्तीय पट्टे" से कोई पट्टा संव्यवहार अभिप्रेत है, जहां—

(i) पट्टे के लिए संविदा विनिर्दिष्ट आस्ति के पट्टे पर देने के लिए दो पक्षकारों के बीच की जाती है;

(ii) ऐसी संविदा, पट्टेधारी द्वारा आस्ति के प्रयोग और अधिभोग के लिए है;

(iii) पट्टा संदाय को परिकलित किया गया है जिससे कि आस्ति की पूर्ण लागत ब्याज प्रभारों के साथ उसके अंतर्गत आ सके; और

(iv) पट्टाधारी पट्टावधि के अंत में पट्टे का संदाय करने के पश्चात् उसके स्वामित्व के लिए हकदार है या उसके पास स्वामित्व का विकल्प है;';

(iii) मद (v) में, "अभिरक्षा, निक्षेपागार और न्यास सेवाएं भी हैं किन्तु इसके अंतर्गत रोकड़ प्रबंधन नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "अभिरक्षा, निक्षेपागार और न्यास सेवाएं भी हैं" शब्द रखे जाएंगे;';

(2) खंड (20) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(20) "कैब" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) कोई मोटरकैब ; या

(ii) कोई मैक्सीकैब ; या

(iii) ऐसा कोई मोटर यान, जो किराए या पारिश्रमिक के लिए, चालक को छोड़कर, बारह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित है या बनाया गया है :

परन्तु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मैक्सीकैब या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट मोटर यान, जो किसी वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेंटर से भिन्न किसी विषय या क्षेत्र पर कौशल या ज्ञान या शिक्षा देने वाले किसी शैक्षिक निकाय द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए किराए पर दी गई है, कैब के अर्थान्तर्गत सम्मिलित नहीं होगा;';

(3) खंड (36क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(36ख) "डिजाइन सेवाएं" के अंतर्गत फर्नीचर, उपभोक्ता उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद, पैकेजों, लोगो, चित्रों, वेबसाइटों की डिजाइनिंग और निगम पहचान डिजाइनिंग और त्रि-आयामी नमूनों के उत्पादन के डिजाइनिंग के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं हैं ;

(36ग) "अंतर्वस्तु का विकास और प्रदाय" के अंतर्गत मोबाइल मूल्य वर्धित सेवाओं, संगीत, चलचित्र क्लिप, रिंगटोन, वाल पेपर, मोबाइल गेम, डाटा चाहे इकट्ठे हों या नहीं हों, सूचना, समाचार और सजीव फिल्मों का विकास और प्रदाय भी है;';

(4) खंड (40) में, "खेलकूद या किसी अन्य घटना" शब्दों के स्थान पर "खेलकूद, विवाह या किसी अन्य घटना" शब्द रखे जाएंगे ;

(5) खंड (60) का लोप किया जाएगा ;

(6) खंड (64) के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए "माल" के अंतर्गत कंप्यूटर साफ्टवेयर भी है;';

(7) खंड (65) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(65) "प्रबंध या कारबार परामर्शी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संगठन या कारबार के प्रबंध के संबंध में, किसी भी रीति से कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जो वित्तीय प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंध, विपणन प्रबंध, उत्पादन प्रबंध, संभार प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के उपापन और प्रबंध या प्रबंधन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के संबंध में कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करता है;';

(8) खंड (66) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए सामाजिक समारोह के अंतर्गत विवाह भी है ;";

(9) खंड (67) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए **"**सामाजिक समारोह**"** के अंतर्गत विवाह भी है;";

(10) खंड (77क) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए सामाजिक समारोह के अंतर्गत "विवाह" भी है ;";

(11) खंड (90) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(90क) "स्थावर संपत्ति को किराए पर देना, के अंतर्गत उद्योग या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसके अग्रसरण में उपयोग के लिए स्थावर संपत्ति को किराए पर देना, भाटक पर देना, पट्टे पर देना, अनुज्ञप्ति पर देना या अन्य इसी प्रकार की व्यवस्था भी है किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है,

(i) किसी धार्मिक निकाय द्वारा या किसी धार्मिक निकाय को स्थावर संपत्ति को किराए पर देना, या

(ii) कौशल या ज्ञान या वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केन्द्रों से भिन्न किसी विषय या क्षेत्र में शिक्षा देने वाले किसी शैक्षिक निकाय को स्थावर संपत्ति किराए पर देना;

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए "कारबार या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसके अग्रसरण में उपयोग के लिए" के अंतर्गत कारखानों, कार्यालय भवनों, भांडागारों, थिएटरों, प्रदर्शनी हालों और बहु उपयोगी भवनों के रूप में स्थावर सम्पत्ति का उपयोग भी है;';

(12) खंड (104) का लोप किया जाएगा;

(13) खंड (105) में,—

(क) उपखंड (ख) और उपखंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपखंड (छ) में, "किन्तु कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी या कंप्यूटर साफ्टवेयर इंजीनियरी की विद्या शाखा में नहीं" शब्दों के स्थान पर, "जिसके अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी भी है किन्तु कंप्यूटर साफ्टवेयर इंजीनियरी की विद्या शाखा नहीं है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपखंड (ट) के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए जनशक्ति की भर्ती या पूर्ति के अंतर्गत अभ्यर्थी की भर्ती पूर्व छानबीन, प्रमाणपत्रों और पूर्ववृत्त का सत्यापन तथा अभ्यर्थी द्वारा दिए गए दस्तावेजों की अधिप्रमाणिकता भी है;';

(घ) उपखंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(द) किसी कक्षीकार को, किसी रीति में, किसी संगठन के प्रबंध या कारबार के संबंध में, किसी प्रबंध या कारबार परामर्शी द्वारा ;';

(ङ) उपखंड (यघ), उपखंड (यङ), उपखंड (यच) और उपखंड (यछ) का लोप किया जाएगा ;

(च) उपखंड (यङ) में, "या किसी अन्य व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "या वाणिज्यिक समुत्थान" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उपखंड (यययङ) में, स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण 2— इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए 'प्रिंट मीडिया' से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

1867 का 25 (i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित "समाचार पत्र";

1867 का 25 (ii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित "पुस्तक", किन्तु इसके अंतर्गत कारबार निर्देशिका, येलो पेजेज और व्यापार सूचीपत्र नहीं है, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए हैं ;';

(ज) उपखंड (यययब) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(यययभ) किसी व्यक्ति को, दूरसंचार सेवा के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा;

(यययम) किसी व्यक्ति को, खनिज, तेल या गैस के खनन के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(यययय) किसी व्यक्ति को, कारबार या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसके अग्रसरण में प्रयोग के लिए स्थावार संपत्ति को किराए पर देने के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "स्थावर संपत्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, —

(i) भवन और किसी भवन का कोई भाग और उससे संलग्न भूमि;

(ii) ऐसे भवन या भवन के भाग के प्रयोग के लिए आनुषंगिक भूमि ;

(iii) संयुक्त या बांटे गए क्षेत्र और उनसे संबंधित सुविधाएं; और

(iv) किसी काम्प्लेक्स या किसी औद्योगिक संपदा में अवस्थित किसी भवन की दशा में, ऐसे काम्प्लेक्स या संपदा के भीतर के सभी संयुक्त क्षेत्र और उनसे संबंधित सुविधाएं,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं —

(क) रिक्त भूमि, जिसका एकमात्र रूप से उपयोग कृषि, जल-कृषि, खेती, वनोद्योग, पशु-पालन, खनन प्रयोजनों के लिए किया जाता है ;

(ख) रिक्त भूमि, चाहे उनमें ऐसी सुविधाएं हों या नहीं, जो ऐसी रिक्त भूमि के प्रयोग के लिए स्पष्ट रूप से आनुषंगिक न हों;

(ग) शिक्षा, खेलकूद, सर्कस, मनोरंजन और पार्किंग के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि; और

(घ) केवल आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त और वास-स्थान के लिए प्रयुक्त भवन जिसके अंतर्गत होटल, छात्रावास, बोर्डिंग हाउस, अवकाश सुविधा, टेंट, शिविर सुविधाएं भी हैं।

स्पष्टीकरण 2—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, भागतः कारबार या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसको अग्रसर करने में प्रयुक्त और भागतः आवासीय या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी स्थावर संपत्ति को कारबार या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसके अग्रसरण में प्रयोग के लिए स्थावर संपत्ति समझा जाएगा ;

(ययययक) किसी व्यक्ति को ऐसी संकर्म संविदा के, जिसके अन्तर्गत सड़कों, विमानपत्तनों, रेलमार्गों, परिवहन टर्मिनलों, पुलों, सुरंगों और बांधों से संबंधित संकर्म नहीं है, निष्पादन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "संकर्म संविदा" से ऐसी संविदा अभिप्रेत है जिसमें,—

(i) ऐसी संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल में संपत्ति का अंतरण माल के विक्रय के रूप में कर से उद्ग्रहणीय है, और

(ii) ऐसी संविदा निम्नलिखित के क्रियान्वयन के प्रयोजनों के लिए है, —

(क) संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या संरचना के निर्माण, कमीशन या अधिष्ठापन, चाहे पूर्व निर्मित हो या अन्यथा, विद्युत और विद्युत युक्तियों का अधिष्ठापन, प्लंबिंग, द्रवों के परिवहन के लिए नाली बिछाना या अन्य अधिष्ठापन, ऊष्मीकरण, वातायन या प्रशीतन, जिसके अंतर्गत संबद्ध पाइप कार्य, नलिका कार्य और शीट धातु कार्य, तापरोधन, ध्वनिरोधन, अग्निरोधन या जलरोधन, लिफ्ट और एस्केलेटर, अग्नि बचाव सीढ़ियां या उत्थापक भी हैं; या

(ख) मुख्यतः वाणिज्य या उद्योग के प्रयोजनों के लिए किसी नए भवन या सिविल संरचना या उसके भाग अथवा किसी पाइप लाइन या नाली का निर्माण; या

(ग) किसी नए आवासीय कांप्लेक्स या उसके भाग का निर्माण; या

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के संबंध में समाप्ति और अंतिम रूप दिए जाने संबंधी सेवाएं, मरम्मत, परिवर्तन, नवीकरण या पुनर्स्थापन या इसी प्रकार की सेवाएं; या

(ङ) टर्नकी परियोजनाएं, जिसके अंतर्गत इंजीनियरी, उपापन और निर्माण या कमीशन (ईपीसी) संबंधी परियोजनाएं भी हैं;

(ययययख) किसी व्यक्ति को, दूरसंचार सेवाओं, विज्ञापन अभिकरण सेवाओं और ऑनलाइन सूचना तथा डाटा आधारित पहुंच या पुनःप्राप्ति सेवाओं में प्रयोग के लिए अंतर्वस्तु के विकास और प्रदाय के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ययययग) किसी व्यक्ति को, किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था के सिवाय, जिसके अंतर्गत उपखंड (यङ) में निर्दिष्ट कोई गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी या कोई अन्य निगमित निकाय या वाणिज्यिक अनुसंधान भी है, विभाग प्रबंध और सभी प्रकार के निधि प्रबंध सहित आस्ति प्रबंध के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययययघ) किसी व्यक्ति को, डिजाइन सेवाओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा नहीं है,—

(i) उपखंड (थ) में निर्दिष्ट आंतरिक साजसज्जक; या

(ii) उपखंड (यफ) में निर्दिष्ट फैशन डिजाइनिंग के संबंध में फैशन डिजाइनर;';

(14) खंड (109) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(109क) "दूरसंचार सेवा" से तार, रेडियो, प्रकाश, दृश्य या अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साधनों या प्रणालियों द्वारा संकेतों, सिगनलों, लेख, प्रतिरूपों और ध्वनियों या किसी प्रकार की आसूचना या सूचना के किसी पारेषण, उत्सर्जन या ग्रहण के माध्यम से उपलब्ध कराई गई किसी वर्णन की सेवा अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है, ऐसे पारेषण, उत्सर्जन या ग्रहण के लिए क्षमता के उपयोग के अधिकार का संबंधित अंतरण या समनुदेशन भी है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है— 1885 का 13

(i) वायस मेल, डाटा सेवाएं, आडियो टेक्स सेवाएं, वीडियो टेक्स सेवाएं, रेडियो पेजिंग;

(ii) स्थिर टेलीफोन सेवाएं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को और वायस, डाटा और वीडियो, अंतर्बंध और बाह्यबंध टेलीफोन सेवा के पारेषण और स्विचिंग के लिए पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क तक पहुंच और उसके प्रयोग का उपबंध भी है;

(iii) सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को और उनसे वायस, डाटा और वीडियो, अंतर्बंध और बाह्यबंध रोमिंग सेवा के पारेषण के लिए और स्विच्ड और नान स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्कों तक पहुंच और उनके प्रयोग का उपबंध भी है;

(iv) वाहक सेवा, जिसके अंतर्गत कालों को आरंभ, समाप्त या परिवर्तित करने के लिए तारयुक्त या बेतार सुविधाओं का उपबंध, अंतरदेशीय या अंतरराष्ट्रीय कालों के अंतरसंयोजन, स्थापन या समापन के लिए प्रभारण, संयुक्त रूप से प्रयुक्त सुविधाओं, जिसके अंतर्गत पोल संलग्नक भी है के लिए प्रभारण, सर्किटों, किसी पट्टाधृत सर्किट या किसी समर्पित संबंधन जिसके अंतर्गत वाक सर्किट, डाटा सर्किट या तार सर्किट भी है, के अनन्य प्रयोग के लिए प्रभारण सम्मिलित है ;

(v) फीस के लिए काल प्रबंधन सेवाओं, जिसके अंतर्गत काल प्रतीक्षा, काल अग्रेषण, कालर पहचान, त्रिमार्गी कालिंग, काल प्रदर्शन, काल वापसी, काल स्क्रीन, काल ब्लाकिंग, स्वचालित काल वापसी, काल उत्तर, वायस मेल, वायस मेनस और वीडियो कांफ्रेंसिंग भी है, का उपबंध ;

(vi) प्राइवेट नेटवर्क सेवाएं, जिसके अंतर्गत, कक्षीकार के अनन्य प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट स्थलों के बीच तारयुक्त या बेतार दूरसंचार संबंधन का उपबंध भी है ;

(vii) डाटा पारेषण सेवाएं, जिसके अंतर्गत तारयुक्त या बेतार सुविधाओं तक पहुंच का उपबंध भी है और डाटा के दक्ष पारेषण के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अभिकल्पित सेवाएं ; और

(viii) प्रतिरूप, पेजर, तार और टेलेक्स के माध्यम से संपर्क,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा नहीं है —

(क) खंड (105) के उपखंड (यज) में निर्दिष्ट ऑनलाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या पुनर्सुधार या दोनों के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) खंड (105) के उपखंड (यट) में निर्दिष्ट प्रसारण के संबंध में, किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन द्वारा; और

(ग) खंड (105) के उपखंड (यययप) में निर्दिष्ट इंटरनेट टेलीफोनी के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा;';

(आ) धारा 66 के स्थान पर, उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"66. धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (क), उपखंड (घ), उपखंड (ङ), उपखंड (च), उपखंड (छ), उपखंड (ज), उपखंड (झ), उपखंड (ञ), उपखंड (ट), उपखंड (ठ), उपखंड (ड), उपखंड (ढ), उपखंड (ण), उपखंड (त), उपखंड (थ), उपखंड (द), उपखंड (ध), उपखंड (न), उपखंड (प), उपखंड (फ), उपखंड (ब), उपखंड (भ), उपखंड (म), उपखंड (य), उपखंड (यक), उपखंड (यख), उपखंड (यग), उपखंड (यज), उपखंड (यझ), उपखंड (यञ), उपखंड (यट), उपखंड (यठ), उपखंड (यड), उपखंड (यढ), उपखंड (यण), उपखंड (यत), उपखंड (यथ), उपखंड (यद), उपखंड (यध), उपखंड (यन), उपखंड (यप), उपखंड (यफ), उपखंड (यब), उपखंड (यभ), उपखंड (यम), उपखंड (यय), उपखंड (ययक), उपखंड (ययख), उपखंड (ययग), उपखंड (ययघ), उपखंड (ययङ), उपखंड (ययच), उपखंड (ययछ), उपखंड (ययज), उपखंड (ययझ), उपखंड (ययट), उपखंड (ययठ), उपखंड (ययड), उपखंड (ययढ), उपखंड (ययण), उपखंड (ययत), उपखंड (ययथ), उपखंड (ययद), उपखंड (ययध), उपखंड (ययन), उपखंड (ययप), उपखंड (ययफ), उपखंड (ययब), उपखंड (ययभ), उपखंड (ययम), उपखंड (ययय), उपखंड (यययक), उपखंड (यययख), उपखंड (यययग), उपखंड (यययघ), उपखंड (यययङ), उपखंड (यययच), उपखंड (यययछ), उपखंड (यययज), उपखंड (यययझ), उपखंड (यययञ), उपखंड (यययट), उपखंड (यययठ), उपखंड (यययड), उपखंड (यययढ), उपखंड (यययण), उपखंड (यययत), उपखंड (यययथ), उपखंड (यययद), उपखंड (यययध), उपखंड (यययन), उपखंड (यययप), उपखंड (यययफ), उपखंड (यययब), उपखंड (यययभ), उपखंड (यययम), उपखंड (यययय), उपखंड (ययययक), उपखंड (ययययख), उपखंड (ययययग) और उपखंड (यययघ) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के बारह प्रतिशत की दर से एक कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेवा कर कहा गया है) उद्गृहीत किया जाएगा और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा ।";

(इ) धारा 70 की उपधारा (1) में, "जो विहित किया जाएगा", शब्दों के स्थान पर, "और विवरणी के विलंब से दिए जाने के लिए, दो हजार रुपए से अनधिक की ऐसी विलम्ब फीस के साथ, जो विहित की जाए", शब्द रखे जाएंगे;

(ई) धारा 83 में,—

(i) "14", अंकों के पश्चात्, "14कक", अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "37घ" अंकों और अक्षर के पश्चात्, "38क" अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(उ) धारा 86 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1994 का 43

"(1क) (i) बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा, जो इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों;

(ii) खंड (i) के अधीन गठित प्रत्येक समिति, यथास्थिति, दो मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों या दो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों से मिलकर बनेगी।";

(ख) उपधारा (2) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर "मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्: —

'(2क) आयुक्तों की समिति, यदि वह धारा 85 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश का विरोध करती है तो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने का निदेश दे सकेगी;';

(घ) उपधारा (3) में, "बोर्ड द्वारा या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "मुख्य आयुक्तों की समिति या आयुक्तों की समिति द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ।

(उ) धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) धारा 70 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन दी जाने वाली विवरणियों का प्ररूप, रीति और अंतराल तथा उपधारा (1) के अधीन विवरणी के विलंब से दिए जाने के लिए विलंब फीस;";

(ऊ) धारा 95 की उपधारा (1ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1घ) यदि वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा इस अध्याय में समाविष्ट किसी कराधेय सेवा के मूल्य के क्रियान्वयन, वर्गीकरण या निर्धारण की बाबत कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी: 5

परंतु ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा, जिसको वित्त विधेयक, 2007 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।";

(ए) धारा 96क के खंड (ख) के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 10

'स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "भारत में संयुक्त उद्यम" से ऐसी संविदात्मक व्यवस्था अभिप्रेत है, जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति कोई ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है और जिसके एक या अधिक साझेदार या भागीदार अथवा साधारण शेयरधारक ऐसे अनिवासी हैं जिनका ऐसी व्यवस्था में सारवान् हित है;' ।